न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 25/2021 दायर दिनांकः 08/02/2021

उनवान

1. द्वारका बाई आयु 48 वर्ष पुत्री चम्पालाल पत्नि रामप्रकाश जाति किराड निवासी गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. मेघराज आयु 55 वर्ष पुत्र चम्पालाल जाति किराड निवासी गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0 एक्ट

बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

आदेश दिनाकः 11/04/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 में वादिया एवं प्रतिवादी कम 2 के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 117 का ख0नं0 183/652 का रकबा 0.01 है0, ख.0नं0 472 का रकबा 0.64 है0, ख0नं0 480 का रकबा 0.38 है0, ख0नं0 494 का रकबा 0.17 है0 एवं ख0नं0 59 का रकबा 2.34 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 3.54 है0 स्थित दर्ज खाता चली आ रही है जिसमें वादिया का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड खाता दर्ज है। वाद पत्र के साथ नकल नवीन जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 पेश है जो काबिल गौर है। वादिया का सही नाम द्वारका बाई पुत्री चम्पालाल जाति किराड निवासी गोरधनपुरा तहसील अटरू है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी तैयार करते समय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 117 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से वादिया का द्वारका बाई सही नाम के स्थान पर द्वारकी बाई गलत दर्ज कर दिया गया। जिसकी वजह से वादिया राज्य सरकार से मिलने

वाले समस्त लाभों से वंचित हो रही है। वादिया ने आधार कार्ड संख्या 461894751608 तथा भारत सरकार से पेन कार्ड संख्या **FAOPB2145C** भी बनवा रखे है, दोनों दस्तावेज में वादिया का सही नाम द्वारका बाई दर्ज है। इस वजह से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 117 में खातेदार के रूप में दर्ज गलत नाम द्वारकी बाई को दुरूस्त करवाकर वादिया अपना सही नाम द्वारका बाई राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 117 में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय वादिया का राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 117 में दर्ज गलत नाम को दुरूश्त करवा पाना संभव नहीं है। यदि वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज चलता रहा तो वादिया अपने प्राप्त हक अधिकारों से वंचित हो जावेगी तथा राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित हो जावेगी तथा राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों सें वंचित हो जावेगी। जिसके फलस्वरूप वादिया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है। इस वजह से वादिया वाद पत्र पेश कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 इस आशय की पारित की जावे कि इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वाके ग्राम एवं माल गोरधनपुरा तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 117 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज गलत नाम द्वारकी बाई के स्थान पर सही नाम द्वारका बाई राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 11 में दर्ज किया जावे। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 30.04.2020 को ई–मित्र से नकल प्राप्त करने पर वादिया का गलत नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर प्रतिवादी क्रम 2 से राजस्व रिकार्ड में द्वारकी बाई के स्थान पर द्वारका बाई सही नाम दर्ज करने बाबत निवेदन करते पर तथा अन्तिम बार दिनांक 18.01.2021 को प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ । वादिया द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से रजिस्टर्ड नोटिस मियादी दो माह राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां को प्रेषित करवा दिया गया है लेकिन वादिया के खाते की भूमि रोड बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई। वादिया का नाम गलत दर्ज होने से वादिया मुआवजा राशि प्राप्त करने से वंचित हो रही है। यदि वादिया का नाम दुरूस्त नहीं हो पाया जो मुआवजा से वंचित हो जावेगी। इस वजह से वादिया का वाद आवश्यक प्रकृति का होन से नोटिस की अवधि दो माह समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा0दी0 के साथ माननीय न्यायालय में वाद पेश किया जा रहा है। वादिया को वाद पेश करने की आज्ञा प्रदान करते हुये वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर नियमित सुनवाई की जावे। वाद ग्रस्त आराजी वाके

ग्राम एवं माल गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज में अवस्थित है जिसका क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी है तथा वाद इन्द्राज दुरूस्त का होने की वजह से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार साहब अटरू प्रतिवादी कम 1 का वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार दर्ज किया गया है। प्रतिवादी कम 2 सहखातेदार होने की वजह से उसे वाद पत्र में प्रतिवादी कम 2 पक्षकार दर्ज किया गया है लेकिन प्रतिवादी कम 2 से उक्त वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा प्रतिवादी कम 2 की तलबी भी नहीं करना चाहते है। वाद राजस्थान टिनेस्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननी न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वादिया वाद प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिकी बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 निम्न आशय की पारित की जावे कि–

(अ) इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वाके ग्राम एवं माल गोरधनपुरा तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 117 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादिया का गलत नाम द्वारकी बाई के स्थान पर सही नाम द्वारका बाई राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे वह वादिया को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी कम 1 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी कम 2 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र का मद नं0 1 ल 6 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 ल 11 कानूनी है।

विशेष कथन

द्वारका बाई मेरी बहिन है जिसका नाम सहवन से द्वारकी बाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जिसको शुद्ध सही किया जाकर राजस्व रिकार्ड में द्वारकीबाई के स्थान पर द्वारका बाई दर्ज किया जावे।

3. साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** द्वारका बाई के बयान लेखबद्ध किये गये। वादिया ने अपने शपथ बयानों में बताया कि मेरा राजस्व रिकार्ड में नाम द्वारकी बाई गलत दर्ज हो रहा है जबकि मेरा सही नाम द्वारका बाई है। साक्ष्यप्रतिवादी के तहत **Dw1** मेघराज पुत्र चम्पालाल के

ब्यान दर्ज किये गये। प्रतिवादी क्रम 2 ने अपने शपथ ब्यानों में बताया कि द्वारका बाई मेरी सगी बहिन है। इसका खाते में नाम राजस्व कर्मचारियों ने द्वारकी बाई दर्ज कर दिया जबकि मेरी बहिन का सही व शुद्ध नाम द्वारका बाई है।

4. अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम गोरधनपुरा तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 117 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादिया का गलत नाम द्वारकी बाई के स्थान पर सही नाम द्वारका बाई राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

5. उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। ग्राम गोरधनपुरा की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 117 ख0नं0 183/652 का रकबा 0.01 है0, ख.0नं0 472 का रकबा 0.64 है0, ख0नं0 480 का रकबा 0.38 है0, ख0नं0 494 का रकबा 0.17 है0 एवं ख0नं0 59 का रकबा 2.34 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 3.54 है0 आराजी द्वारकीबाई पुत्री चम्पालाल के शामलाती खाते दर्ज है। वादिया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड (प्रदर्श 5ए) में वादिया का नाम द्वारका बाई दर्ज है। आयकर विभाग का पेन कार्ड (प्रदर्श 6ए) में वादिया का नाम द्वारका बाई दर्ज है।

6. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में वादिया का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम गोरधनपुरा के खाता संख्या 117 ख0नं0 183/652 का रकबा 0.01 है0, ख.0नं0 472 का रकबा 0.64 है0, ख0नं0 480 का रकबा 0.38 है0, ख0नं0 494 का रकबा 0.17 है0 एवं ख0नं0 59 का रकबा 2.34 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 3.54 है0 में सहखातेदार द्वारकी बाई पुत्री चम्पालाल के स्थान पर द्वारका बाई पुत्री चम्पालाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (**R.A.S.**) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 25/2021

उनवान

1. द्वारका बाई आयु 48 वर्ष पुत्री चम्पालाल पत्नि रामप्रकाश जाति किराड निवासी गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. मेघराज आयु 55 वर्ष पुत्र चम्पालाल जाति किराड निवासी गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0 एक्ट

बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....ग..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम गोरधनपुरा के खाता संख्या 117 ख0नं0 183/652 का रकबा 0.01 है0, ख.0नं0 472 का रकबा 0.64 है0, ख0नं0 480 का रकबा 0.38 है0, ख0नं0 494 का रकबा 0.17 है0 एवं ख0नं0 59 का रकबा 2.34 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 3.54 है0 में सहखातेदार द्वारकी बाई पुत्री चम्पालाल के स्थान पर द्वारका बाई पुत्री चम्पालाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग.................... मुबालिक ....ग............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग........................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 11.04.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)